

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रोडीबाई

विपक्षी : श्री नारायण

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 47 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.02.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के पिता हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1, 2 को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। यदि विपक्षी सं. 1, 2 को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं. 1, 2 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके जिससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 1100/39, 1102/47, 1104/50, 1107/655, 1109/670, 40, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 659, 661, 662, 664, 665, 666, 671 कित्ता 25 रकबा 3.9171 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1, 2 मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

